छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | प्रथम सत्र | अंक-06

रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 फरवरी, 2014

(माघ-14, शक संवत 1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 05, 07, 08 एवं 10 से 16 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 04, 06 एवं 09 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री अमरजीत भगत, भोलाराम साहू, भूपेश बघेल अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 8 तारांकित एवं 32 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 2 सन् 2013), एवं

(2) श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013), **पटल पर रखे।**

3. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा तृतीय विधान सभा के जुलाई, 2013 सत्र में पारित 17 विधेयकों में से 14 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

4. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में नक्सलियों द्वारा शहरी नेटवर्क चलाये जाने संबंधी 37 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन सूचनाओं में से श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई। श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने परम्परा अनुसार स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य कर 3.00 बजे से चर्चा कराये जाने हेतु सहमति व्यक्त की ।

माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य कर चर्चा हेतु 3.00 बजे का समय निर्धारित किया।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने प्रदेश में धान खरीदी में व्याप्त अनियमितता की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. बहिर्गमन

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने हसदेव बायीं नहर के लाईनिंग कार्य बंद कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

8. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री रामदयाल उईके, सदस्य ने जिला कोरबा विधान सभा क्षेत्र पाली तानाखार में विद्युत बिलों में भारी गड़बड़ी किये जाने, एवं

(2) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने तीरथगढ़ जल प्रपात में पर्यटकों पर हुये आत्मघाती हमले से पर्यटकों में दहशत होने संबंधी, **शून्यकाल की सूचना पढ़ी गई** ।

(1.02 बजे से 3.03 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

9. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य दिया।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री महेश गागड़ा, अमित अजीत जोगी,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृहस्पत सिंह, देवजी भाई पटेल, राजेन्द्र कुमार राय,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री राजशरण भगत, संतराम नेताम, विक्रम उसेंडी, उमेश पटेल, संतोष बाफना,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तथा माननीय मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री कवासी लखमा, धनेन्द्र साहू,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री श्याम बिहारी जायसवाल, मनोज सिंह मंडावी, मोहन मरकाम, श्रीमती चंपादेवी पावले एवं नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस.सिंहदेव।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 6.49 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 4 फरवरी, 2014 (माघ 15, शक संवत् 1935) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा